



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39225-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3956/2026

अमरेन्द्र कुमार शास्त्री

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अजय कुमार कश्यप, विशाखा दुबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष हेतु दायर की गई है:

"(i) प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे थाना- रामनगर, जिला- काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) में धारा 406, 504, 506 आई.पी.सी. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0296/2025 में दिनांक 13.11.2025 की उक्त एफ.आई.आर. में निष्पक्ष और पक्षपात रहित विवेचना पूर्ण करें।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे थाना- रामनगर, जिला- काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) में धारा 406, 504, 506 आई.पी.सी. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0296/2025 में दिनांक 13.11.2025 की एफ.आई.आर. के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 4 से 9 को गिरफ्तार करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे थाना- रामनगर, जिला- काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) में धारा 406, 504, 506 आई.पी.सी. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0296/2025 में दिनांक 13.11.2025 की एफ.आई.आर. के अनुसरण में बी.एन.एस. की सुसंगत धारा जोड़ें।

(iv) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो यह माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और यथोचित समझे।

(v) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान वाद में सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान वाद में एफ.आई.आर. दिनांक 13.11.2025 को पंजीकृत की गई है, तथापि पुलिस वाद की निष्पक्ष और पक्षपात रहित विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता पुलिस आयुक्त, जिला- काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें अपनी शिकायत को उजागर करते हुए निष्पक्ष और पक्षपात रहित विवेचना की मांग की जाए और यदि ऐसा आवेदन पुलिस आयुक्त, जिला- काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो पुलिस आयुक्त, जिला- काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)/प्रत्यर्थी संख्या 2 वर्तमान वाद में निष्पक्ष, पक्षपात रहित और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त संप्रेक्षण के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

20 फ़रवरी, 2026

केयू